

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

शुद्धि पत्र

स्वास्थ्य विभागीय आदेश सं0 115(एच0एस0) दिनांक 22-03-2020 एवं इसके शुद्धि पत्रांक 155 (एच0एस0) दिनांक 23-03-2020 के क्रम में आदेश की कंडिका-3 में वर्णित कुल बारह प्रतिष्ठानों/सेवाओं के अतिरिक्त कंडिका-3 के (xiii) के रूप में निम्न प्रकार जोड़ा जाता है -

- 2- 3.(xiii)- उर्वरक, कृषि, रसायन, बीज एवं कृषि संयंत्र के परिचालन एवं वितरण से संबंधित प्रतिष्ठान।
- 3- उपरोक्त विभागीय आदेश/शुद्धि पत्र में वर्णित अन्य निटेश यथावत रहेंगे।


(संजय कुमार)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग।

जापांक- 160 (HS)

पटना, दिनांक 24 मार्च, 2020

प्रतिलिपि -

मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधन सचिव/सभी सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला दंडाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग।